न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 22/2018 (राजसमन्द आर्डर)

प्यारा पिता तुलछा जी रेगर, निवासी राज्यावास, तहसील व जिला राजसमन्द

.... अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान
भू–राजस्व अधि.1956 विरूद्ध निर्णय
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
राजसमन्द दिनांक 09–01–2002
प्रकरण संख्या 243/2001

———/———

उपस्थित :– 1– श्रो संजय बोहरा अभिभाशक अपीलान्ट
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक

12–06–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 09–01–2002 से अपीलान्ट को ग्राम राज्यावास को आवंटित आराजी 1226/12 मी. रकबा 1½ बीघा की प्रीमियम राशि नहीं जमा कराने के कारण तथा आवंटी द्वारा कब्जा लिये जाने से इंकार किये जाने के आधार पर आवंटन संबंधी कार्यवही इसी स्तर पर बंद कर दी।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 09–01–2002 से रूश्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04–06–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कथित आदेश अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में उसे बिना सुने पारित किया गया है, जिसकी प्रथम बार जानकारी उसे दिनांक 26–03–2018 को तब हुई जब पटवारी हल्का मौके पर कब्जा लेने आये। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपोलान्ट द्वारा यह अपील करीब 16 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है तथा इसके लिए जो आधार लिये गये हैं वह न तो उचित हैं, न ही पर्याप्त। तद्नुसार अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। फिर भी प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर उसके साथ जमाबन्दी संवत् 2069 से 72 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नक्शा टेस की प्रमाणित प्रति तथा मौके के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत कर उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा उक्त आवेदन पर मनन कर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रस्तुत जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां हैं। अतः न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को सूचना पत्र जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को ही पुनः वक्त बहस दोहराया तथा बताया कि आवंटन केवल 17–ए के तहत ही निरस्त किया जा सकता है, अन्यथा निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। अपीलान्ट ने कब्जा लेने से कभी इंकार नहीं किया। आवंटन न तो नियमों के विपरीत करवाया गया है, न ही धोखे से प्राप्त किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर कथित आवंटन बहाल रखा जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बताया कि स्वयं अपीलान्ट ने प्रीमियम राशि जमा कराने एवं कब्जा लेने से इंकार किया है। अब अपीलान्ट का यह कथन की उसके द्वारा इंकार नहीं किया गया है, उपलब्ध रेकाड अनुसार उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

प्रकरण में हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में यह अंकित किया है कि प्रार्थी/आवंटी भूमि कमाण्ड क्षेत्र में होने से प्रीमियम राशि जमा नहीं कराना चाहता है तथा भूमि का कब्जा लेने से इंकार किया। अधिनस्थ न्यायालय का उपरोक्त निर्णय उचित प्रतीत होता है, क्योंकि पर्चा मौका दिनांक 01–02–2002 पर मौतबीरानों के अलावा स्वयं अपीलान्ट के भी हस्ताक्षर हैं, जिसमें उसके द्वारा भूमि देखकर कब्जा लेने से इंकार किया गया है। इसके अलावा उसके द्वारा एक आवेदन में प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर भूमि का कब्जा नहीं लेने एवं प्रीमियम राशि जमा नहीं कराने हेतु निवेदन किया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय के निणय में हम प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09–01–2002 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविशिट नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12—06—2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर